खंड 1 संख्या 129

# राष्ट्र महिला

अप्रैल 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

## *सम्पादकीय*

हाल ही में हरियाणा के जिला करनाल के सैशन न्यायालय द्वारा एक तीन वर्ष पुराने हत्या के मामले में दिए गये निर्णय से भारतीय गांवों में चली आयी मध्यकालीन न्याय प्रणाली को दरकिनार किए जाने का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। न्यायालय ने एक लड़की के परिवार के पाँच सदस्यों को फांसी की सज़ा सुनाई क्योंकि एक ही गोत्र के एक युवक और युवती ने घर से भागकर परम्परागत चली आई प्रथा को तोड़कर विवाह करने का साहस किया था। उनका विवाह लड़की के परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध था क्योंकि लड़की का गोत्र वही था जोकि लड़के का और, प्रचलित प्रथा के अनुसार, एक भाई-बहन के विवाह के समान था।

कई सप्ताह बाद लड़के और उसके परिवार वालों के विरुद्ध लड़की का अपहरण करने की एफ.आई.आर. दायर की गयी, किन्तु दूसरे पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। नव-विवाहित दम्पत्ति 15 जून, 2007 को न्यायालय में पेश हुए और उन्हें पुलिस संरक्षा दी गयी क्योंकि उनकी जान को खतरा था। किन्तु उसी रात दम्पत्ति को एक बस से खींचकर बाहर निकाला गया और उनकी हत्या कर दी गयी। एक सप्ताह बाद उनकी लाशें एक नहर में पाई गयीं।

यह हत्या एक *"खाप पंचायत"* (जातिगत परिषद्) द्वारा लिए गये एक निर्णय के बाद की गयी। खाप पंचायत जाटों की एक संस्था है जो उत्तर भारत के कई राज्यों में फैली है और गोत्र के आधार पर अपने निर्णय देती है। इसका सामाजिक उत्पीड़न, अत्याचार और अंधविश्वास का पर्यायवाची बन गया है क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी ने भी, यहाँ तक कि नूतनकालीन सरकारों ने भी, इसे चुनौती नहीं दी है। परिणामस्वरूप ये न्यायालय वस्तुतः कंगारू

**चर्चा में** **जातिवाद अत्याचार का अंत आवश्यक**

न्यायालय बन गये हैं जो कभी-कभी न केवल मृत्यु-दंड देते हैं अपितु कथित दोषियों को मृत्यु के घाट भी उतार देते हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार की अदालत थी और जातिगत रूढ़ियों को तोड़ने पर इस युगल की हत्या की उत्तरदायी थी। किन्तु हाल ही में जब करनाल के एक न्यायालय ने इस युवा दम्पत्ति की हत्या के लिए सात लोगों को हत्या की सज़ा सुनाई तो न्याय मिला। सात में से पाँच को मृत्यु-दंड दिया गया, छठवें व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला और सातवें व्यक्ति को सात वर्ष का कारावास।

हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में *"खापों"* का अच्छा प्रभाव होने के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव भी है। यह भी एक कारण है कि तालिबान जैसी रीतियों को लागू करने वाली *"खापों"* को आधुनिक स्थापित संस्थाओं, जैसे कि राजनीतिक दलों तथा पुलिस जो आपराधिक न्यायिक प्रणाली का अंग है, से कोई चुनौती नहीं मिली है। विद्यमान परिस्थिति को देखते हुए, न केवल इस उदाहरणीय दंड की कठोरता सार्थक है जिसका कि प्रभाव निश्चय रूप से पड़ेगा, अपितु और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्पष्ट संदेश जारी हुआ है कि जातिगत न्यायालय को कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं है और वह व्यक्तियों को दंड नहीं दे सकती।

इस प्रकार, आशा है कि उपरोक्त न्याय-निर्णय से पंचायत के मुखिया न्यायेतर शक्तियां प्राप्त करने और न्याय की आड़ में आपराधिक कृत्यों का समर्थन करने से बाज़ आयेंगे। जबकि इस न्याय-निर्णय को परिवर्तन का अग्रदूत कहा जा सकता है, वांछित परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव बनाए रखने की भी आवश्यकता है। यह समाचार बहुत उत्साहजनक है कि केन्द्र सरकार *'खाप'* तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं से निबटने के लिए कानून को कठोर बनाने पर विचार कर रही है और यह निर्णय खाप पंचायतों के अत्याचारी आदेशों के अंत का सूत्रपात भी बन सकता है।

## सुश्री ज़ोहरा चटर्जी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य-सचिव बनीं

उत्तर प्रदेश केडर की वर्ष 1979 के बैच की आई.ए.एस. अधिकारी सुश्री ज़ोहरा चटर्जी ने राज्य के सामाजिक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निष्पादित की हैं जैसे कि ग्रामीण विकास, कृषि, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास। वह दस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रम क्षेत्र में भी कार्यरत रही हैं जहां उन्होंने अनेक प्रमुख पद संभाले जैसे औद्योगिक कमिश्नर एवं डायरेक्टर, श्रमिक कमिश्नर, लघु उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम तथा उत्तर प्रदेश हस्तकरघा निगम की मेनेजिंग डायरेक्टर। पर्यटक सचिव एवं डायरेक्टर जनरल की हैसियत से उन्होंने ताजमहल के 350 वर्षीय समारोह का निर्देशन किया। मई, 2007 में केन्द्र सरकार में आने से पूर्व वह उत्तर प्रदेश में वित्त, उद्योग, सूचना तथा टेक्नोलोजी एवं इलेक्ट्रोनिक्स की मुख्य सचिव रहीं।

26 मार्च, 2010 को आयोग में नियुक्ति से पूर्व, सुश्री चटर्जी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग में संयुक्त सचिव थीं। उनके कार्यकाल में आई.पी.टी.वी. नीति तथा एच.आई.टी.एस. नीति घोषित की गयी, और टी.वी. चैनलों का 24x7 मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र स्थापित किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान जागरुकता कार्यशालाओं के माध्यम से चलाई गई योजना के अंतर्गत तथा इस योजना में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को उनके द्वारा दिए गये प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप सामुदायिक रेडियो योजना को बड़ी गति मिली। अन्य महत्वपूर्ण नीतियां जैसे एफ.एम फेस-3 नीति तथा मोबाइल टी.वी. नीति भी उनके कार्यकाल में सुदृढ़ बनीं। कई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे प्रसार भारती के कर्मचारियों की स्थिति, भी लिए गये। पदोन्नति पर, उन्होंने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के औहदे पर सदस्य-सचिव की हैसियत से आयोग में नियुक्ति ली।

उत्तर प्रदेश सरकार में 2001-2002 के दौरान महिला एवं बाल विकास सचिव के पद से उन्होंने मूलभूत तथा सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने बाल गृहों एवं आश्रय गृहों का व्यापक दौरा किया, पुलिस एवं न्यायपालिका के साथ जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित कीं तथा अनैतिक व्यापार एवं मथुरा में विधवाओं की दुर्दशा के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया।

2008 में उन्हें *"लोकवाणी"* परियोजना के लिए वर्ष 2006-07 का 'लोक प्रशासन में उत्तमता' का प्रधान मंत्री पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दल प्रयास द्वारा नागरिकों को सशक्तिकृत किए जाने के लिए दिया जाता है। उन्होंने मिरांडा हाउस, नई दिल्ली में फिजिक्स (भौतिकशास्त्र) में बी.एस.सी. (ऑनर्स) किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. किया।

हम सुश्री चटर्जी का आयोग में स्वागत करते हैं।

## बाल विवाह पर सेमिनार

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेवाड़ शिक्षा सोसायटी के सहयोग में 'बाल विवाह' पर चित्तौड़गढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने सभी लोगों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़ोर दिया और कहा

*आयोग की अध्यक्षा तथा संयुक्त सचिव (दायें से चौथी तथा तीसरी) अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ*

कि माता-पिता अपनी पुत्रियों को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि आजादी के 62 वर्ष बाद भी देश भर में बाल विवाह धड़ल्ले से चल रहे हैं और इनमें से 41% विवाह राजस्थान में होते हैं। उन्होंने कहा कि गत पाँच वर्ष से राष्ट्रीय महिला आयोग बाल विवाह के विरुद्ध अनवरत संघर्ष कर रहा है और बाल विवाह अधिनियम को अधिक कठोर बनाने के लिए संसद को इसकी पुनरीक्षा करने के लिए मनवा सका है।

प्रथम सत्र के दौरान, आयोग की संयुक्त सचिव सुश्री एस.एस. पुजारी ने श्रोतागणों का आगमन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि बाल विवाह की बुराई का सामना करने के सभी संभव प्रयास करें।

*सेमिनार में श्रोतागण*

## मर्यादा हत्या के मामले में न्यायालय के निर्णय पर आयोग ने प्रेस सम्मेलन बुलाया

आयोग की अध्यक्षा ने एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मर्यादा हत्या के मामले में करनाल के एक न्यायालय द्वारा पाँच लोगों को दिया गया मृत्यु दंड एक 'सशक्त प्रतिरोधक' सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि 'खाप पंचायतों की कार्यवाहियां काफी समय से हमें, समाज को तथा मीडिया को चिंतित कर रही हैं। हम समझते हैं कि इस न्याय-निर्णय से एक नयी दिशा मिलेगी।'

आयोग इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा है और वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरुकता पैदा करने के प्रयोजन से गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिल कर कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

इस युगांतकारी निर्णय द्वारा न केवल पांच व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गयी, अपितु एक को आजीवन कारावास तथा एक अन्य को सात वर्ष के कारावास की सजा भी दी गयी जिन्होंने एक खाप पंचायत द्वारा एक दम्पत्ति को सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विवाह करने पर मृत्यु दंड दिए जाने पर मौत के घाट उतार दिया था।

डॉ. व्यास ने कहा कि कोई भी समुदाय पंचायत कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। यदि किसी ऐसी पंचायत के निर्णय से किसी व्यक्ति को मौत मिले तो इसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जाना चाहिए।

इस समाचार के बारे में पूछे जाने पर कि जिस दिन करनाल न्यायालय का निर्णय आया था उसी दिन अमृतसर जिले में एक ही परिवार के नव-विवाहित दम्पत्ति को हमलावरों ने मार डाला, डॉ. व्यास ने कहा 'इन्हीं कारणों से ऐसे कठोर न्याय-निर्णयों की आवश्यकता है। लोगों के मन में कानून का भय होना चाहिए और कार्यशालाओं के आयोजनों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता पैदा करके इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिए।'

*अध्यक्षा प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए*

मर्यादा हत्याओं की रोकथाम के लिए एक अलग से कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, डॉ. व्यास ने कहा 'हमारे अपने कानून मौजूद हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका अपराधों की उग्रता के अनुसार अपना निर्णय देती है।'

## विदेशी प्रतिनिधि-मण्डल का आगमन

मांटिनेगरो की संसद की एक वरिष्ठ सदस्या सुश्री नादा द्रोबिंजक राष्ट्रीय महिला आयोग आयीं और आयोग के सदस्यों के साथ चर्चा की।

सुश्री द्रोबिंजक ने कहा कि उनके देश की संसद में महिलाओं की संख्या 11 है किन्तु मंत्रिमण्डल में केवल एक महिला है।

डॉ. व्यास ने आयोग के गठन और कार्यकरण के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर के अधिकार दिए गये हैं और यह अवधारणा बैठ चुकी है कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं।

सुश्री द्रोबिंजक ने कहा कि भारत की तरह उनके देश में भी मुख्य समस्या घरेलू हिंसा की है, साथ ही अनैतिक व्यापार और बाल विवाह आदि की समस्याएं भी हैं। उन्होंने डॉ. व्यास को अपने देश में आने का निमंत्रण देते हुए आशा व्यक्त की कि भारत और मांटिनेगरो अपने देशों की एक जैसी समस्याओं से निबटने के लिए मिल कर प्रयास करेंगे।

*डॉ. गिरिजा व्यास के साथ सुश्री नादा द्रोबिंजक (दायें से तीसरी)। घुर बायें को आयोग की सदस्या डॉ. वानसुक सयीम और घुर दायें को सुश्री यास्मीन अब्रार*

## शिकायत कक्ष से

● मुजफ्फरपुर, बिहार, की एक महिला ने आयोग से कहा कि उसके माता-पिता उसे तंग कर रहे हैं क्योंकि उसने अपनी पसंद से विवाह किया था। वे उसके पति तथा सास-ससुर को अपहरण के गलत आरोप में फसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसने आयोग में शिकायत दर्ज कराई और अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की गुहार की।

आयोग ने मुजफ्फरपुर रेंज के आई.जी.पी. को पत्र लिखकर साथ में उसकी शिकायत ओर आयु का प्रमाण भी भेजा। आयोग ने पुलिस से बात भी की और बताया कि शिकायतकर्ता 18 वर्ष से अधिक आयु की है और बालिग है और वह व्यक्तिगत रूप से आयोग में आई थी तथा आयु के प्रमाण के साथ विवाह के बारे में अपना बयान दिया था। तत्पश्चात् पुलिस ने उसके पति तथा माता-पिता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

● एक महिला ने आयोग में आकर शिकायत की कि श्री 'क' ने स्वयं को फर्जीवाडे से एम्स डॉक्टर बताया और उसके पुत्र को गलत दवा दी जिसके परिणामस्वरूप उसके गुर्दे खराब हो गये। फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध हरीनगर पुलिस थाने, नई दिल्ली में एफ.आई.आर. दर्ज की गयी जिस पर उसने पूर्व-जमानत की अर्जी दायर की। न्यायालय द्वारा उसे जमानत नहीं दी गयी, किन्तु पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया।

आयोग ने मामला अपने हाथ में लिया और हरीनगर पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को लिखा कि आयोग के समक्ष हाजिर होकर महिला की शिकायत पर की गयी कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एस.एच.ओ. ने आयोग में आकर कार्यवाही रिपोर्ट दी और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय ने उसे दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद उस आरोपी मेडीकल रिप्रजेंटेटिव को कम्पनी ने बर्खास्त कर दिया।

● एक महिला ने आयोग से शिकायत की कि उसके सास-ससुर उसे शारीरिक एवं मानसिक प्रताणना देते हैं और उसका पति भी उसके साथ वैवाहिक संबंध रखने में रुचि नहीं रखता। परिणामस्वरूप वह उसकी परवाह नहीं करता। उसने आयोग से अपना 'स्त्रीधन' वापस कराने का आग्रह किया।

आयोग ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया। पाँच-छः सुनवाईयों के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया जिसके अनुसार वे परस्पर तलाक के लिए राज़ी हो गये और ससुराल वालों ने आयोग के सम्मुख शिकायतकर्ता का स्त्रीधन वापस कर दिया।

*अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :*
**www.ncw.nic.in**

## महत्वपूर्ण निर्णय

● **घरेलू हिंसा अधिनियम प्रतिगामी काल से प्रभावी होगा : उच्च न्यायालय**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भले ही घरेलू हिंसा अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ हो, फिर भी यदि इससे पहले की कोई शिकायत किसी महिला द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है तो वह हर प्रकार की राहत पाने की हकदार है।

● **पत्नी के साथ मारपीट करने वालों को तलाक नहीं : उच्चतम न्यायालय**

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे पुरुष की तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया जो अपनी पत्नी को पीटता था जिसके कारण वह उसे छोड़ने तथा अलग रहने पर मजबूर हो गयी। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने विवाह-विच्छेद की इस आधार पर पति द्वारा दी गयी याचिका कि पत्नी ने उसे छोड़ कर उसके साथ क्रूरता की है रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पत्नी को क्रूरता अथवा परित्याग का दोषी नहीं माना जा सकता।

● **साथ रहने का अधिकार जीवन का अधिकार है : उच्चतम न्यायालय**

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला विवाह किए बिना साथ-साथ रह रहे हों, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता, और विवाह-पूर्व संभोग का निषेध करने वाला कोई कानून नहीं है। तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने कहा 'साथ-साथ रहना जीवन का अधिकार है ... जब दो बालिग व्यक्ति साथ-साथ रहना चाहें तो यह कोई अपराध नहीं है।'

## आयोग की याचिका की खुली अदालत में सुनवाई होगी

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये इस निर्णय से एक विवाद खड़ा हो गया था कि यदि कोई सास अपनी बहू को ठोकर मारे और बार-बार उसे तलाक की धमकी दे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत उसे क्रूरता का दोषी नहीं माना जा सकता। परन्तु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की याचिका देने पर उच्चतम न्यायालय इस पर पुनः दृष्टि डालने के लिए तैयार हो गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि जो निर्णय आया हे उससे ससुराल में क्रूरता तथा उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा किए जाने का प्रावधान बेमानी हो जायेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।